उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या : 8/2017/सीपी 10/84-2-2017-सीपी-9/2015
लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-15/2016/सीपी-683/84-2-16-सीपी-9/15 दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा श्री गोपाल यादव पुत्र स्व0 राम चन्द्र यादव ग्राम हाटा, पो0 सोहंग, कुशीनगर की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में श्री गोपाल यादव को निर्देशित किया गया था कि चरित्र सत्यापन के पश्चात राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर 15 दिवसों के अन्दर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं, के शपथ पत्र सहित कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमती नगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

3. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: 3764/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 40/16 दिनांक 8 सितम्बर, 2016 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोपाल यादव द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य (पूर्ण कालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है जबकि निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्रांक 2139/ एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/अधि0 58/16 दिनांक 27 जुलाई, 2016 द्वारा श्री गोपाल यादव को निर्देशित किया गया था कि 02 अगस्त, 2016 के पूर्व आयोग में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। परन्तु श्री गोपाल यादव द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए। परिणामस्वरूप निबंधक, राज्य आयोग द्वारा श्री गोपाल यादव की नियुक्ति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अत: शासन के पत्र संख्या: सीपी 567/84-2-2016-सीपी-9/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री गोपाल यादव को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभी तक जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अत: क्यों न जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाय। यह कारण बताओ नोटिस श्री गोपाल यादव को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी परन्तु उनका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि श्री गोपाल यादव को कुछ नहीं कहना है तथा वे जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अत: श्री राज्यपाल एतदद्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर श्री गोपाल यादव पुत्र स्व0 राम चन्द्र यादव ग्राम हाटा, पो0 सोहंग, कुशीनगर में की गयी नियुक्ति को निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
3. कोषाधिकारी, कुशीनगर।
4. कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग) ।
5. श्री गोपाल यादव पुत्र स्व0 राम चन्द्र यादव ग्राम हाटा, पो0 सोहंग, कुशीनगर
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।